

## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, Regional Office, Western Region, "केन्द्रीय पर्यावरण भवन"

"कंन्द्रीय पर्यावरण भवन" "Kendriya Paryavaran Bhavan लिन्क रोड नं0-3,Link Road No. 3

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar, गोपाल (मठप्र०)/Bhopal-462016 (M.P.)

फोन- 2466525, 2463102, 2465496 अण्डाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

कमांकः 6-MPC 014/2009-BHO/ 4144

12-0-12-12-2011

प्रति,

अपर मुख्य सचिव(वन).

मध्यप्रदेश शार ग

वन विभाग, वल्लभ भवन,

R-No- 3770/10-3/11

विषयः सिवनी जिले के अन्तर्गत वनमण्डल उत्तर सिवनी की 30.120 हें0 (19.12हें0 आरक्षित, 4.20 हें0 संरक्षित एवं 6.89 हें0 राजरव वनभूमि) अमान परिवर्तन जबलपुर से नागपुर व्हाया नैनपुर, छिन्दवाड़ा ब्रॉड गेज रेलवे लाईन निर्माण हेतु उप महाप्रबंधक (निर्माण)—2 दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भः 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6-एमपीसी 014/2009-बीएचओ/3810 दिनांक 30/9/2011

2. अपर प्रधान मु०व०सं०(भू—प्रबंध) म०प्र० का पत्रांक एफ-5/597/09/10-11/3318 दिनांक 17/11/2011

3. Officer on Special Duty Adhoc-CAMPA, New Delhi का पत्र कमांक 1-20/2010-CAMPA दिनांक 01/12/2011

महोदय,

कृपया अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी म0प्र0 के पत्रांक एफ—5/597/09/10—11/653 दिनांक 23/03/2009 एवं समसंख्यक पत्रांक 1006 दिनांक 8/4/2011 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा—2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए इस कार्यालय के उपरोक्त संवर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

्उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, म0प्र0 शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से 30.120 है0 (19.12हे0 आरक्षित, 4. 20 है0 संरक्षित एवं 6.89 है0 राजस्व वनभूमि) अमान परिवर्तन जबलपुर से नागपुर व्हाया नैनपुर, छिन्दवाड़ा ब्रॉड गेज रेलवे लाईन निर्माण हेतु उप महाप्रबंधक (निर्माण)—2 दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर को वनेत्तर उपयोग के लिये दिये जाने का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा—2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है :—

- वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
- 2. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 60.24 हे0 अवक्रमित वनभूमि (20.00 हे0 कक्ष क्रमांक 418, ग्राम वन समिति—बालपुर रै., तह.—घंसौर, जिला—सिवनी, 30.24 हे0 कक्ष क्रमांक आर/65, C/No.VIII. ग्राम वन समिति—सुक्कम भुरकुण्डी, तह0—लखनादौन, जिला—सिवनी एवं 10.00 हे0 कक्ष क्रमांक 596, ग्राम वन समिति—कटोरी, तह0—घंसौर, जिला—सिवनी) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्रिंग जायेगा ।

(g(F)

DEVELOPMENT APPROVAL\widen\ROAD.DOC

121

- 3) अ. कार्यालय क्षेत्र संचालक पेंच टाईमर रिजर्व, सिवनी (५०५०) के पत्र कर्याक गा.चि./3627 दिना ५ 26/08/10 के द्वारा प्रेपित संबंधित समिति की Assessment Committee Report स्व Recommendation (Point I to 7) का अनुपालन किया जायेगा ।
- ब. बिन्दु (अ) में उल्लेखित Recommendations (Point 1 to 7) conditions की राज्य शासन द्वारा monitoring follow-up किया जायेगा ।
- 1. Although the proposed sizes of the RCC BOX typte bridges are site specific, Still then for the smooth movement of wild animals, the minimum length (along rail) should not be less than 3 meters and height of the box (clear height) should not less than 3 meters then 3 meters height can be maintained by deepening the ground level. It should ensured that the clist. The between any two RCC box type bridges of 3.0 m x 3.0 m or bigger size should not be more than 500 meter.
- 2. The approaches of the bridges on both sides should be constructed in such a way that the animal can move smoothly and conveniently in both directions.
- 3. In forests area, the wild animals will use RCC box bridge for their smooth movement across the track. Due to deep vertical cutting, the wild animals may succumb to any type of injury. Therfore on both sides of the track in forest area. Guided chain link fencing of height 2 m should be erected till such length where it meets the RCC box bridges.
- The RCC box bridges should be patrolled by the railways staff deployed and any suspicious
  activity such as movement of suspected poachers, discovery of traps/snares etc. should be
  reported to the Fotrst Department immediately.
- 5. During the construction phase of the board gauge, it should be ensured that the labours do not camp in the forest areas during night time and leave the forest after sunset. This is to prevent occasional poaching of small game that the labourers might resort to.
- 6. It will be the responsibility of the Railway department to maintain the chain link fencing on a regular basis to ensure that there is no discontinuity / breakage at any point of time. The field staff of the Forest Department will also inspect the fences during field patrolling and any damages to the chain link fencing should be immediately brought into the notice of the Railway authorities. The railway department will provide an undertaking that sufficient budgetary allocation for the main maintenance of the chain link fence will be made
- If there is any waterhole near the tract, the passes for wildlife should be checked thoroughly.
   The forest department should be infromed if any thing unususal and suspicious is found.
- वनभूभि के हस्तांतरण से पूर्व, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सिहत विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अन्य सगस्त शर्तों का पालन किया जाएगा ।
- 5) वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।
- राज्य शासन द्वारा लगायी गयी अन्य कोई शर्त । उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा अन्य कोई शर्त लगाये जाने की स्थिति में इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी ।

(प्रदीप वासुदेव) कर संस्थात (केल्टीस)

वन संरक्षक (केन्द्रीय)